न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–55/2012 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्याः– 2012/00032

उनवान

1. सुबोध पुत्र देवी सिंह
2. अशोक पुत्र भूरी
3. भजनलाल
4. रघुवीर
5. सीताराम
6. सन्तराम
(3 से 6) पुत्रगण मंगल
7. मु0 मुगलिया वेवा मंगल

(1 से 7) जातियान जाटव निवासीयान पिचूना तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

8. शारदा पुत्री देवी सिंह पत्नी रामदास जाति जाटव निवासी नौनी तहसील खैरागढ जिला आगरा(यू0पी0)
9. सरोज पुत्री देवी सिंह पत्नी महेश जाति जाटव निवासी नौनी तहसील खैरागढ जिला आगरा(यू0पी0)
10. रज्जो पुत्री देवी सिंह पत्नी जीतू जाति जाटव निवासी जैंगारा तहसील किरावली जिला आगरा।
11. सौमोती पत्नी टुक्की जाति जाटव निवासी दाउदपुर तहसील किरावली जिला आगरा(यू0पी0)

.....................अपीलाण्ट

बनाम

1. सुखदेव
2. भगवान सिंह
3. गोरधन सिंह
4. राम सिंह

(1 से 4) पुत्रगण श्री करन सिंह जाति जाटव निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

5. चन्द्रवती पुत्री करन सिंह वेवा नामालुम जाति जाटव निवासी ततामड तहसील व जिला भरतपुर।
6. सोहन सिंह पुत्र कल्ला जाति जाटव निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.......................रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन दि0 28.06.2012 प्र0स 110/11 मंगल वगै0 बनाम करन सिंह।

अभिभाषक :–
1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :— 13.04.2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में अपीलाण्ट/वादीगण की मॉ मु0 गैंदी को खातेदारी हक व कब्जा जरिये अदालत मिल चुका है; जब तक मॉ मु0 गैंदी जीवित रही तब तक उनका कब्जा काश्त रहा एवं उनके देहान्त के बाद अपीलाण्ट/वादीगण का कब्जा काश्त है। रैस्पो0/प्रतिवादी का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी पर रैस्पो0/प्रतिवादी के नाम खातेदारी इन्द्राज गलत व मौके के खिलाफ चले आ रहें हैं। इन गलत इन्द्राज के चलते भविष्य में अपीलाण्ट/वादीगण को भारी नुकसान उठाना पड सकता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी इन्द्राज कराने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 07 रूल 11 सी0पी0सी0 यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि पूर्व में विवादित आराजी बाबत् वाद में अपीलाण्ट/वादीगण की मॉ गैंदी को एवं सौमोती को विवादित आराजी के 2/3 भाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। अतः अपीलाण्ट/वादीगण की ओर से पुनः उसी विवादित आराजी बाबत् वाद रेसज्यूडीकेटा के आधार पर चलने योग्य नही होने के कारण, वाद को बिना परीक्षण के ही निरस्त किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2012 से रैस्पो0/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र 07 रूल 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए, अपीलाण्ट/वादीगण का दावा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। वक्त बहस अपीलाण्ट अभिभाषक अनुपस्थित। बहस रैस्पों0 सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्य को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के खिलाफ होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया कि प्रार्थना पत्र में रैस्पो0 ने क्या अभिकथन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रैस्पो0 का कथन रहा है कि पूर्व में अपीलाण्ट को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है और अब पुनः खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है किन्तु अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दावा मे खातेदारी की दादरसी नहीं चाही गई है, बल्कि राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट का अमल दरामद किये जाने की दादरसी चाही गई है, जो दावे पूर्व में चल चुके हैं उन दावो के निर्णय में केवल रैस्पो0 को ही यह आदेश पारित किया था कि, रैस्पो0 चाहे तो विधिवत बंटवारा कराकर अपने 1/3 हिस्से को ले सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के आधार पर यह मानकर कि अपीलाण्ट को पूर्व में खातेदार घोषित किया जा चुका है अब पुनः खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है, दावा खारिज करने में भारी त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि दावा बहुत लम्बे समय से चला आ रहा है और इतने लम्बे समय बाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर दावा को खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी दावा की शुरूआती स्टेज पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पूर्व न्याय (Resjudicata) का बिन्दु विधि एवं तथ्यो का मिश्रित प्रश्न है जिसका निर्णय साक्ष्य एवं दस्तावेजात के बिना नहीं किया जा सकता। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0एल0डब्ल्यू 2016(1) पेज 39, 2015(1) पेज 390, 2014(2) पेज 846, डी0एन0जे0 2017(4) पेज 1792, आर0आर0टी0 2015(2) पेज 1268 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश सहायक कलक्टर निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए, अपने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने अपने वाद पत्र में स्वयं ही स्वीकार किया है कि ग्राम पिचूना में स्थित विवादित आराजी बाबत् माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा दिनांक 12.04.1979 को अन्तिम रूप से निर्णय किया जाकर, अपीलाण्ट/वादीगण की मॉ गैंदो व सौमोती को विवादित आराजी के 2/3 भाग में खातेदार घोषित किया जा चुका है अतः अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा विवादित आराजी में 2/3 हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित करने का जो अनुतोष चाहा गया है, वह विधि विरूद्ध है एवं धारा 11 जाब्ता दीवानी के तहत रेसज्यूडीकेटा की श्रेणी में आता है तथा आदेश 07 नियम 11 जा0दी व धारा 151 जा0दी के तहत भी बाधित है। अपीलाण्ट ने पुनः उसी बिन्दु पर वाद लाकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी बिन्दुओ की पूर्ण जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप उचित ही है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डब्ल्यू0 एल0 सी0 2003(4) पेज 426, 2002(4) पेज 478, 2006(5) पेज 633, 2000 पेज 10, ए0आई0आर0 2009 पेज 1 का हवाला देते हुए, अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया गया। रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.06.2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पेश करते हुए, प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि पूर्व में इसी विवादित आराजी बाबत् माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर तक विचार किया जा चुका है; अतः अपीलाण्ट/वादीगण का पुनः दावा करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है एवं दावा आदेश 02 नियम 02 जा0दी0 के तहत बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाण्ट/वादीगण का दावा पूर्व न्याय (Resjudicata) के सिद्धान्त पर सुने जाने योग्य नहीं माना जाकर, रैस्पो0/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, दावा खारिज किया गया है। हमारा मत है कि पूर्व न्याय का प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसका विनिश्चयन साक्ष्य एवं दस्तावेजात के बिना किया जाना सम्भव नहीं है। पूर्व न्याय के बिन्दु का विनिश्चय करने के लिए न्यायालय को पूर्व के प्रकरण के वादपत्र, जवाब दावा, विरचित विवाद्यक एवं न्यायालय के पूर्व निर्णय को देखना होगा, जो साक्ष्य की विवेचना की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विवचना, जवाब दावा एवं दोनों पक्षों के साक्ष्य व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर देने के बाद ही सम्भव हैं। बिना साक्ष्य का अवसर दिये, प्रारम्भिक स्तर पर इस प्रकार की कार्यवाही विधिक नहीं मानी जा सकती है। तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दु, साक्ष्य आदि लेने के बाद ही निर्णीत किया

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर ली गयी आपत्ति के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर वाद को खारिज करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त हमने उभयपक्ष की ओर से अपने–अपने कथनों की पुष्टि में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की ओर भी गौर किया। अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीरें रैस्पो0 के मुकाबले पश्चातवर्ती हैं। अतः रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नजीरे उन्हें कोई लाभ नहीं पहुॅचाती हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि आदेश 07 निमय 11 सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत, अधीनस्थ न्यायालय का वाद को खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित होने के कारण स्थिर नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2012 अपास्त किये जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। साथ ही उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.05.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 13.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official